Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to take stringent action to stop increasing incidents of rape and murder of minor girls in Bhopal, Madhya Pradesh.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं । हाल ही में एक के बाद एक ऐसे कई मामले संज्ञान में आये हैं। ऐसे मामलों को दर्ज करने में देरी या आनाकानी किया जाना और अपराधियों का पता लगाने में पुलिस का गैर जिम्मेदारना रूख अपनाना, अपराधियों को निरंकुश कर रहा है । इन घटनाओं की रोकथाम के लियें थानों में अलग से बेटी बचाओ सेल बनाई जाए । पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में फांसी की सजा का कानून बनाया था, जिसे लागू किया जाए । ऐसे मामलों में जिन अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है परन्तु अपराधियों द्वारा हाईकोर्ट उवं सुप्रीम कोर्ट जाते जाते काफी देर हो जाती है । अतः इन मामलों में अविलम्ब न्याय हेतु कानून बने ।